



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-1009/CG/77/2023-RO-RPR-RU-IV

दिनांक: 11/09/2025

सेवा मे,

श्री तरुण प्रकाश

महाप्रबंधक,

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,

महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय,

बिलासपुर - 495004, छत्तीसगढ़

E.mail: gm@secl.railnet.gov.in

विषय: अभ्यावेदक श्री लक्ष्मण सिंह, पिता स्वश्री रोहित राम., निवासीरेल्वे इंस्टीट्यूट -, इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह, रायपुर (ग.छ)
से प्राप्त अभ्यावेदन" नौकरी में बहाली हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ: South East Central Railway, Bilaspur letter No. SECR/P-HQ/RP/426 dated 31.01.2024

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 12:40 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री लक्ष्मण सिंह

Quarter No. 1158/2,

रेल्वे इंस्टीट्यूट,

इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह,

रायपुर (ग.छ),

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NIC for uploading